



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 246 राँची, शुक्रवार,

28 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2023

संख्या-15/नीति नि०-07-04/2021 का.- 2368-- झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त के निर्धारण हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-1749 दिनांक-27.03.2010 द्वारा अधिसूचित “झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2010” (समय-समय यथा संशोधित) के नियम-13(ख) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल एतद्वारा तृतीय संशोधन नियमावली गठित करते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (i) संक्षिप्त नाम :- यह नियमावली 'झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली-2023' कही जायेगी।
- (ii) विस्तार :- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) प्रभाव की तिथि :- यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली, 2010- यथा संशोधित- "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 (यथा संशोधित)" नियम-4(ख)(i) के प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

पूर्व का प्रावधान	संशोधित प्रावधान
“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी टाईपिंग में 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से कम्प्यूटर पर टाईपिंग अधिकतम 2 प्रतिशत अशुद्धि सहित अनिवार्य अर्हता होगी । उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा भी झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हों । परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी ।”	“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडियेट काउंसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी टाईपिंग में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर टाईपिंग अधिकतम 02 प्रतिशत अशुद्धि सहित अनिवार्य अर्हता होगी ।”

3. “झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्बर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली, 2010 (यथा संशोधित)” इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।
